

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

सोनभद्र - (उ०प्र०)



壐 05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक- 245%/ रेनुकूट / 15-117 रेनुकूट, दिनांक, जनवरी, 11,

2019

सेवा में.

मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर ।

विषय:--

जनपद-सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमित के संबंध में ।

संदर्भ:-

1— भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू.पी. /02/31/2018/एफ.सी./219 दिनांक- 20.08.2018

2— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या-398 / 11—सी-एफ0पी0 / यू.पी. / Irrig / 20269 / 2016 लखनऊ दिनांक- 21 अगस्त 2018 3— आपका पत्र संख्या—914/मी०/33 दिनांक— 04.09.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित वन भूमि एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्राप्त होने वाले समुतल्य गैर वन भूमि का निरीक्षण, श्री के०के० तिवारी, वन संरक्षक, केन्द्रीय महोदय द्वारा दिनांक— 24.05.2018 को किया गया था । स्थलीय निरीक्षणोपरान्त वन संरक्षक, केन्द्रीय महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया था कि परियोजना में प्रभावित कुल 127.1637 हे0 वन भूमि के सापेक्ष कनहर परियोजना द्वारा वन विभाग को उपलब्ध करायी जाने वाली समतुल्य गैर वन भूमि 132.6126 हे0 में पूर्व से पेड़-पौधे लगे हुए है, जिसके कारण वनीकरण की भूमि कम हो जायेगी । अतः कनहर परियोजना द्वारा 132.6126 हे0 गैर वन भूमि के अलावा कुछ और गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि उस पर भी वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही किया जा सकें । वन संरक्षक, केन्द्रीय महोदय द्वारा दिये गये निर्देश एवं उसके अनुपालन में प्रभाग की अनुपालन आख्या निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तृति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेत प्रेषित है :-

क्र0सं0	वन संरक्षक, (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं	प्रभाग की आख्या
	जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)	
	द्वारा दिनांक-24.05.2018 को दिये गये निर्देश एवं	
	उसके क्रम में जारी पत्र संख्या—	
S.C.	8बी / यू0पी0 / 02 / 31 / 2018 / एफ.सी. / 219	
	दिनांक— 20.08.2018	
1	2	3
1	Reference is invited to queries sought vide	भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम

this office letter dated 18.04.2018, the compliance of which is awaited. Further, a Site inspection of above Forest proposal for Canal and its distribution system uner Kanhar Irrigation Project in Sonebhadra district was carried out by regional officer on 24.05.2018 in presence of officials of State forest Department and Irrigation department and it was observed that proposed land for equivalent Compensatory afforestation is in Inear shape/form and is covered by standing trees and other vegetation which reduces the net area available for plantation. It was also observed that proposed plantation area is susceptible to submergence during flood etc.

The concerned officials were advised to identify equivalent area of proposed plantation by including adjoining villages in such a way that area covered by vegetation is excluded and susceptibility to submergence in further reduced.

It is requested that a view of the above observation a revised proposal of CA land along with Plantation sheeme with minimum 1000 plants per hectare and 10 yrs maintenance as applicable may be furnished to this office at the earliest for further processing of the said proposal.

अधिशासी अभियन्ता, में कनहर खण्ड-तृतीय, पिपरी-सोनभद्र द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग के विण्ढमगंज रेंज अन्तर्गत ग्राम-कुदरी में 28.1482 है0 अतिरिक्त गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराया गया था । उपलब्ध कराये गये अभिलेख एवं मौके की जॉच करायी गयी । जॉचोपरान्त ग्राम-कुदरी की 28.1482 है0 गैर वन भूमि वन विभाग को क्षतिपूरक वनीकरण हेतु लिये जाने वावत उपयुक्त पाया गया है । गैर वन भूमि से संबंधित खतौनी की प्रति, राजस्व मानचित्र, जी०ओ०रेफरेन्स मानचित्र, क्षतिपूरक वनीकरण की 10 वर्षीय योजना की 4-4 प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार, प्यावरण, वन एवं जलवाय परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ की सेवा में प्रेषित करने की कृपा करें ।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में ।

11-01-2019

भवदीय <u>उद्धिर</u> (एम०पीधिसंह) (प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या— अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, 17 राणा प्रताप मार्ग, उ०प्र० लखनऊ ।

प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा—सोनभद्र ।

3— अधिशासी अभियन्ता, कुनहर निर्माण खण्ड—तृतीय, पिपरी—सोनभद्र ।

4— क्षेत्रीय वन अधिकारी, विण्ढमगंज को उनके पत्र संख्या— 90 /15 दिनांक—14.12.2018 के क्रम

(एम0पी0सिंह) (प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता कनहर निर्माण खण्ड—तृतीय पिपरी—सोनभद्र

पत्रांक: 736/क0नि0ख0-3,पि0/

दिनांक 24.12. 2018

विषयः सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 है0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों के पातन तथा ओवरा वन प्रभाग की 23.4887 है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् 127.1637 है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमित।

सन्दर्भः (1) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्र सं0-8बी/यू0पी0/02/31/2018/एफ.सी./45 दिनांक 18.04.2018

(2) कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं0-2982/11-सी-FP/UP/IRRIG/20269/2016, लखनऊ दिनांक अप्रैल 24, 2018

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/IRRIG/20269/2016

प्रमागीय वनाधिकारी, रेनुकूट/ऑबरा-सोनमद्र।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नवत है:-

Observ.	Obvervation of GOI	Reply
No.		
1	Color coding in the kml files (provided	Kml files में Obra Forest, Renukoot Forest
	online) as well as in CD of proposed	Division और Non-Forest land की Colour coding में
	land to be diverted are in a single	
	colour due to which the distinition	गया है।
	between forest land and non-forest	
	land is difficult. It should be in the	
	different colours coding.	
2	The data provided in CD should be	वन भूमि सम्बन्धित सभी विवरण प्रभागवार रेनुकूट व
	divisions wise.	ओवरा वन प्रभाग की सी०डी० संलग्न है।
3	The key coordinates of proposed land	प्रस्तावित भूमि की key coordinate हेलु Bearing
	to be diverted have not be given.	chart ग्रामवार बनाकर पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है
		(सूची संलग्न है)।
4	The propsed CA land for the both	रेनुकूट वन प्रभाग एवं ओबरा वनप्रभाग के अन्तर्गत
	divisions i.e. Forest Division, Renukoot	प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष प्रस्तावित गैर
	and Obra are in linear format. The kml	वन भूमि Polygon format में है। प्रस्तावित ग्रैर वन
	file of proposed CA land shows	मूमि सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहित कृषक भूमि है जो
	presence of agricultural land which	विभाग के कब्जे / अधिकार में है।
	may be reviewed.	
5	Cost Benefit analysis has not been	भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन
	provided as per new guideline of the	मंत्रालय द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में संलग्न है।
	Ministry.	
	CA secheme has not been submitted.	C.A. Scheme पूर्व के प्रस्ताव में पृष्ठ सं0-452 से 455
		पर है (प्रति संलग्न है)।

क्र.सं.	बिन्दु	आख्या
7	Alternatives of forest land have not been examined and details not provided.	वन भूमि के अन्य विकल्प हेतु मुख्य नहरों दाँयी कनहर नहर एवं बाँयी कनहर नहर व इसकी समस्त प्रणालियों के संरेखन का विस्तृत सर्वेक्षण कर प्रभावित वन क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि वन क्षेत्र न्यूनतम हो एवं जनता को अधिकतम लाभ प्राप्त हों। प्रस्ताव/ परियोजना में वन भूमि के उपयुक्तता हेतु प्रस्तावित मुख्य नहरों एवं उसकी समस्त प्रणालियों का एलाइनमेन्ट उत्कृष्ट एवं आवश्यक है, का प्रमाण पत्र दिया गया है। अतः वन क्षेत्र प्रभावित होने का अन्य
		कोई विकल्प नहीं है (प्रमाण पत्र संलग्न)। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में दुद्धी तहसील की 62. 7805 है0 वन भूमि व रावर्ट्सगज तहसील की 0.4498 है0 वन भूमि का FRA Certificate दिनांक 28.12.2014 एवं पुनः रावर्ट्सगंज व दुद्धी तहसील की अवशेष 63. 9334 है0 वन भूमि का FRA Certificate दिनांक 04.04. 2016 को जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा जारी किया गया है। इसके आधार पर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव बनाकर रेनुकूट व ओबरा वन प्रभाग को प्रेषित किय गया जिसके उपरान्त विभिन्न आपत्तियों का निराकरण कर रेनुकूट वन प्रभाग (नोडल) द्वारा वर्ष 2016—17 में प्रस्ताव प्रेषित किया गया। इस प्रकार जारी किया हुअ FRA Certificate विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किये जाने

प्राची वर्षा का का प्राची असर कार का



अधिशासी अमियन्ता कनहर निर्माण खण्ड—तृतीय पिपरी—सोनमद्र